

06-2-18

पत्रावली पेश, पञ्जाब उच्च न्यायालय मुंबई
सुनी गई।



अपील आपीलांत स्वीकार की
जानी है, पत्रावली तहसीलदार
सुरतगढ़ को इस निर्देश के साथ
प्रतिप्रेषित की जाती है कि
प्रकरण में वारिसान की जांच कर,
सभी पक्षों को सुनवाई का उचित
अवसर प्रदान करने हुए; उन:-
न्यायसंगत निर्णय पारित करें।

आपीलाधीन इंतकाल सं. 190
दि 20-6-2008 को ही पीपासरा
खारिज किया जाता है।

निर्णय सबे इजलास सुनाना
गया।

पत्रावली फललशुमार होना
गम्बर सं. 1, दक्षिण दफ्तर।

अतिरिक्त जिला क्लर्क
सुरतगढ़
06-2-18